

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अधिसूची अभियन्ता
प्रयोजित एजेंसी
रा0मा0 खण्ड ला0नि0वि0
देहरादून

52

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेव्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल रू0 70.00 लाख प्रति है0 है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि का कुल मूल्य रू0 512.40 लाख होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट प्रतिशत की दर से रुपये होता है।


तहसीलदार
लक्सर


06/06/2022
स्प.जिलाधिकारी
लक्सर


जिलाधिकारी
हरिद्वार
जिलाधिकारी

परियोजना का नाम :- जनपद हरिद्वार में (सी0आर0एफ0 2019-20) केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रुड़की-लक्सर-बालावाली मार्ग, राज्यमार्ग संख्या 26 के कि0मी0 01 से कि0मी0 19.00 तक पेब्ड सोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम हेतु दुगुनी अर्जित 14.64 है वन भूमि का विवरण

क्रं0सं0	जिला	परगना	पट्टी	तहसील	मौजा	खाता संख्या	भूमि का विवरण			अन्य विवरण
							खसरा नं0	कुल रकबा है0	अर्जित रकबा है0	

वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित 7.32 है वन भूमि 14.64 है0।

अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र

उप जिलाधिकारी

उप जिलाधिकारी
लक्सर

तहसीलदार
लक्सर